

प्रवेश आवेदन पत्र शैक्षणिक वर्ष 2026-27

पूर्वाम्नाय- श्री गोवर्द्धन- वेदपाठशाला

श्री गोवर्द्धन मठ - पुरीपीठ, श्रीजगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम्, पुरी ७५२००१ (ओडिशा)

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान , शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

मोबाइल-7656944290 , ई-मेल - shreegovardhanmathvedpathashala@gmail.com

1. विद्यार्थी का विवरण

- पूरा नाम (आधिकारिक अभिलेख के अनुसार): _____
- जन्म तिथि (DD/MM/YYYY): _____
- उपनयन: हाँ / नहीं
- राष्ट्रीयता: _____
- आधार संख्या: _____
- रक्त समूह: _____

2. संपर्क विवरण

- स्थायी पता: _____

- शहर: _____
- राज्य: _____
- पिन कोड: _____
- देश: _____

3. माता-पिता / अभिभावक की जानकारी

पिता का नाम: _____

- व्यवसाय: _____
- संपर्क नंबर: _____
- ईमेल: _____

संस्कृत विश्व की भाषाओं में सबसे प्राचीन और परिपूर्ण है। इसका ज्ञान भण्डार विश्व की एक अद्वितीय और अमूल्य निधि है। यह भाषा विशिष्ट भारतीय परंपरा और चिंतन का प्रतीक है, जिसने सत्य की खोज में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदर्शित की है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुरी पीठ में एक संस्कृत विद्यालय और एक छात्रावास चल रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में ब्रह्मचारी और संत ज्ञान की खोज में रहते हैं। जगतगुरुजी स्वयं छात्रों और सीखने के इच्छुक लोगों को वेदांत की शिक्षा देते हैं। गोवर्धन मठ संस्कृत महाविद्यालय, पारंपरिक संस्कृत अध्ययन का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान है, जहाँ ब्रह्मचारियों और शिक्षार्थियों के लिए छात्रावास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। हाल ही में, संस्थान ने संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण और इस प्रकार संस्कृत शिक्षा के लोकप्रियकरण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक समुदाय की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ शैक्षिक प्रयोग किए हैं। इन पाठ्यक्रमों को समुदाय से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

श्री गोवर्धन मठ, पुरी-पीठ, श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम्, पूर्वाम्नाय-श्रीगोवर्धन-वेद पाठशाला में प्रवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मानदंडों के एक स्पष्ट सेट का पालन करता है। इन मानदंडों को प्रत्येक मामले में पूरा किया जाना चाहिए और इन मानदंडों में कोई अपवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पूर्वाम्नाय-श्रीगोवर्धन-वेद पाठशाला में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड:

- 12 वर्ष की आयु तक के सभी ब्राह्मण बालकों के लिए प्रवेश खुला है।
- केवल उन्हीं बालकों के प्रवेश पर विचार किया जाएगा जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है।
- विशेष मामलों में, प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले उपनयन संस्कार किया जाएगा।
- उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाएगा जो कक्षा 5वीं में पिछले वर्ष उत्तीर्ण होंगे।
- विद्यार्थियों का कक्षा 6वीं से ही वेद गुरुकुल में प्रवेश लिया जाएगा।
- वेद पाठशाला में प्रवेश पाने वाले बालकों को शिखा धारण करनी होगी और पाठशाला के अनुरूप वस्त्र पहनने होंगे। पारंपरिक धोती पहनना अनिवार्य है।

वेद पाठशाला में प्रवेश प्रक्रिया:

- आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष जनवरी से उपलब्ध होंगे। इन्हें वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- लिखित परीक्षा के बाद आवेदकों का चयन किया जाएगा और फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- साक्षात्कार में चयनित छात्रों को परिसर में एक चयन शिविर में भाग लेना होगा।
- आचार्यों और शिक्षकों की एक समिति द्वारा चयनित छात्रों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और छात्रों को सूचित किया जाएगा।
- यदि कोई छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो उसे भुगतान की गई किसी भी राशि की वापसी नहीं मिलेगी। गुरुकुल, छात्र के पाठ्यक्रम छोड़ने तक उस पर किए गए खर्च की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस अधिकार का प्रयोग कानूनी उपाय के अलावा छात्र को देय किसी भी राशि पर ग्रहणाधिकार द्वारा किया जा सकता है।
- मेधावी छात्रों को हमारे परिसर में आगे अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वेद पाठशाला में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चों को एक विस्तृत चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा और प्रवेश पत्र के साथ रिपोर्ट जमा करनी होगी।

वेद पाठशाला का पाठ्यक्रम:

वेद भारतीय विरासत और संस्कृति के पवित्र मूल हैं। इन्हें ब्रह्मांड की दिव्य जीवन शक्ति माना जाता है, जो मानवता को शांति, समृद्धि और कल्याण प्रदान करती है। वर्षों से, वेद मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते रहे हैं। वेदों की रक्षा और संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य और दायित्व है।

सात वर्षीय पाठ्यक्रम:

1. ऋग्वेद
2. यजुर्वेद
3. अथर्ववेद
4. सामवेद
5. आधुनिक विषय (सीबीएसई पाठ्यक्रम) : गणित ,विज्ञान ,अंग्रेजी, सा.विज्ञान ,संस्कृत, कंप्यूटर ,योग

संस्कृत के मूल ज्ञान के साथ-साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा।

अगले कुछ वर्षों में, उन्हें स्नातक स्तर के बराबर वैदिक अध्ययन के उच्च स्तर पर लाया जाएगा।

परीक्षाएँ प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। श्री शंकराचार्य पीठ गोवर्धन मठ के निर्देशों के अनुसार छात्र हर साल आवधिक परीक्षाएँ देते हैं

माता का नाम: _____

- व्यवसाय: _____
 - संपर्क नंबर: _____
 - ईमेल: _____
-

अभिभावक का

- विद्यार्थी से संबंध: _____
 - संपर्क नंबर: _____
-

4. शैक्षणिक जानकारी

- पिछला विद्यालय/संस्थान: _____
 - बोर्ड: _____
 - कक्षा 5वीं / ग्रेड: _____ उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
 - उत्तीर्ण वर्ष: _____
 - प्राप्त प्रतिशत/ग्रेड: _____
 - 6वीं कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन (2026-27): हाँ
 - वेद: _____
-

5. चिकित्सीय जानकारी

- कोई बीमारी/एलर्जी (यदि हो): _____
-

6. संलग्न दस्तावेज़ (उचित पर ✓ करें) छाया प्रति सहित

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद के लिए

- जन्म प्रमाण पत्र
- पिछली कक्षा की अंकतालिका
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- पहचान प्रमाण / आधार
- माता/पिता/अभिभावक के साथ छात्र का संयुक्त बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक)

आचार संहिता और नीतियाँ

श्री शंकराचार्य गोवर्धन मठ की एक सख्त आचार संहिता है जिसका पालन

किसी भी मुद्दे पर समझौता किए बिना किया जाएगा। नियम इस प्रकार हैं:

1. सामान्य आचरण और दृष्टिकोण

- उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए, छात्रों को अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होना चाहिए। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य सहपाठियों और शिक्षकों का सम्मान करें और उनके साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत करें।
- वेद विद्यालय में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक छात्र स्वेच्छा से सभी नियमों और विनियमों का पालन करने और उन प्रमुख सिद्धांतों को बनाए रखने और उनका सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता है जिन पर संस्था आधारित है।
- प्रत्येक छात्र का यह कर्तव्य है कि वह गुरुकुल के संचालन के संबंध में उसे सौंपे गए सभी कार्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से पूरा करे।
- सभी छात्रों को गुरुकुल में सिखाई जाने वाली आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन पद्धतियों का पालन करना आवश्यक है।
- कक्षाओं में समय पर उपस्थित हों।
- उन्हें दिए गए असाइनमेंट और कार्य निर्धारित समय में पूरे करें।
- अपनी कक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार होकर आएं।
- दूसरों के सीखने के अधिकार में बाधा या हस्तक्षेप न करें।
- कठिनाइयों की स्थिति में, शिक्षकों और छात्र परामर्शदाताओं से मार्गदर्शन लें।
- गुरुकुल की संपत्ति और सुविधाओं का सम्मानपूर्वक और सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।
- कक्षाओं, कॉमन रूम और खुले कमरों को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए।

2. उत्पीड़न

गुरुकुल किसी भी प्रकार के उत्पीड़न (नस्लीय/मौखिक/यौन) को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट गंभीर कदाचार मानी जाएगी और इसके परिणामस्वरूप छात्र को निष्कासित कर दिया जाएगा।

3. उपस्थिति

- कक्षा में न्यूनतम 85% उपस्थिति अनिवार्य है।
- गुरुकुल प्रत्येक छात्र से प्रत्येक कक्षा के लिए समय पर आने की अपेक्षा करता है। देरी से आने वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यदि आवश्यक हो तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है। किसी भी छात्र को अधिकारियों की उचित अनुमति के बिना किसी भी नियमित, पाठ्यक्रम संबंधी और गुरुकुल की अन्य गतिविधियों से वंचित नहीं रहना चाहिए।
- बार-बार अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। छुट्टी सामान्यतः स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- विद्यालय समय के दौरान किसी भी छात्र को पूर्व अनुमति के बिना गुरुकुल नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई फरार पाया जाता है, तो गुरुकुल अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

4. परीक्षा नियम और प्रक्रियाएँ

परीक्षा सत्र शुरू होने से पहले

- परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुँचें।
- परीक्षा के लिए आवश्यक सामग्री को छोड़कर, सभी नोट्स और सामग्री हटा दें।
- परीक्षा सत्र के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है।

परीक्षा सत्र के दौरान

7. घोषणा

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

- विद्यार्थी के हस्ताक्षर: _____
- माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर: _____
- दिनांक: _____

- सभी लिखित निर्देशों का पालन करें।
- हर समय निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार व्यवहार करें।
- परीक्षा कक्ष में बातचीत न करें।
- यदि आपको निरीक्षक से बात करने की आवश्यकता हो, तो अपना हाथ उठाएँ।
- परीक्षा के दौरान दिए गए रफ पेपर पर नोट्स बनाएँ।

परीक्षा के दौरान कार्रवाई और परिणाम

- यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करते पाया जाता है, तो गुरुकुल की अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 - परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के लिए पुनः परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।
 - चिकित्सा संबंधी बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने में असफल रहने वाले छात्र को 5 दिनों के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
5. **सभी अभिभावकों के लिए दिशानिर्देश:**
- शैक्षणिक वर्ष के दौरान बच्चों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अपवादों की अनुमति केवल प्रचार्य (प्रधानाचार्य) द्वारा दी जा सकती है। छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों को अनुमति मिलने पर अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा; हम छात्रों को अकेले नहीं भेजेंगे। यदि छात्रों के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अकेले घर भेजा जाए, तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा गुरुकुल को पहले ही लिखित अनुरोध भेज दिया जाना चाहिए। इस संबंध में टेलीफोन कॉल और संदेशों पर विचार नहीं किया जाएगा (आपात स्थिति को छोड़कर)।
 - अभिभावकों को अपने बच्चों से केवल रविवार दोपहर को अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार मिलने की अनुमति है। जब भी अभिभावक/अभिभावक अपने बच्चों से मिलने गुरुकुल आते हैं, तो उन्हें गुरुकुल कार्यालय में जाकर पूर्व अनुमति लेनी होगी।
 - अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों को नकद या कोई भी कीमती सामान जैसे गहने, घड़ी, मोबाइल फोन, कैमरा, ऑडियो/विजुअल उपकरण आदि न दें। छात्रों के पास पाए जाने पर ऐसी चीज़ें जब्त कर ली जाएँगी। इसी तरह, अभिभावकों से अनुरोध है कि वे बच्चों को देने के लिए बाहर से खाने-पीने की चीज़ें न लाएँ।
 - गुरुकुल छात्रों के लिए पौष्टिक शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराता है। यह पेशेवर पोषण विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक संतुलित मेनू है, जो छात्रों की शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित है।
 - अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, उन्हें प्रदान की गई विशेष सुविधा के माध्यम से कर सकते हैं।
 - गुरुकुल छात्रों को नियमित गतिविधि के तहत विशेष शैक्षिक भ्रमण आदि पर ले जा सकता है। इसके लिए अभिभावकों से कोई अनुमति नहीं ली जाएगी।
 - गुरुकुल परिसर में धूमपान, मद्यपान और नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित करता है। इनमें से किसी भी गतिविधि में लिप्त किसी भी छात्र को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा।
 - गुरुकुल किसी भी छात्र को किसी भी समय, अंतिम बाह्य परीक्षा अवधि सहित, कदाचार/अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य में लिप्त होने पर निष्कासित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - ऐसे सभी मामलों में प्रधानाचार्य की कोई भी अनुशासन अंतिम है।
 - ऐसे सभी मामलों में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम है।
 - गुरुकुल प्रबंधन बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी समय, उपर्युक्त नियमों और विनियमों में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन या विलोपन का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - सभी शिकायतें, संबंधित मुद्दों के आधार पर, ट्रस्टी/प्रधानाचार्य/वार्डन को लिखित रूप में भेजी जाएँगी।